फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

प्रा0पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/218	13.09.2022	03.01.2025

उनवान

1. नेकीराम पुत्र रामकिशन जाट निवासी बाईपास मालाखेडा

––वादी

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र रामकिशन जाट
2. करण सिंह पुत्र रामकिशन जाट
3. अमरचन्द पुत्र प्रहलाद गुप्ता
4. किरोडीमल पुत्र प्रहलाद गुप्ता
5. हजारीलाल पुत्र प्रहलाद गुप्ता निवासीयान लक्ष्मणगढ रोड मालाखेडा जिला अलवर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा
7. उप पंजीयक महोदय, तहसील मालाखेडा

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर विवादित आराजी खाता संख्या नया 463 मे वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 खाता संख्या नया 461 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2133/5040 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम व तहसील मालाखेडा का अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी तकसीम कराने का निवेदन किया। वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 की ओर से प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0, व 2133/5040 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम मालाखेडा साबिक खसरा नम्बर 1091 से बने है। मौजूदा प्रकरण मे खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0, को प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के स्व0 पिता प्रहलादराय गुप्ता ने वादी नेकीराम के स्व0 पिता रामकिशन से 28.04.1993 को जरिये सेल डीड खरीद किया था ओर खरीद के पश्चात प्रतिवादीगण 3 लगा0 5 के स्व0 पिता प्रहलादराय गुप्ता ने उक्त रकबे का इन्तकाल नम्बर 106 दिनांक 29.05.1993 को अपने पक्ष मे दर्ज करवा लिया ओर दर्ज करवाने के पश्चात उपरोक्त पूर्ण रकबे को जिला कलक्टर अलवर के यहॉ से दिनांक 23.06.1994 को कन्वर्ट करा लिया तथा कन्वर्ट कराकर पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया। जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि पिछले 25–26 वर्षो से उक्त खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 पर पेट्रोल पम्प पूर्ण रूप से संचालित है एवं मौके पर चालू है। उपरोक्त भूमि व आराजी कॉमर्शियल लैण्ड है, काश्त की भूमि नही है। इसलिये वादी द्वारा मौजूदा वाद खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 का गलत रूप से काश्त की भूमि बनाकर मौजूदा वाद पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। वाद बार्ड बाई लॉ होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ड सिविल प्रक्रिया संहिता का जवाब नही देते हुये सीधे ही बहस करने का कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

फर्द अहकाम

उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1091 से दो खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0, 2133/5040 रकबा 0.11 है0, बने है। खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0, को वादी के पिता रामकिशन से जरिये बयनामा प्रतिवादी 3, 4, 5 के पिता स्व0 प्रह्लादराय गुप्ता ने दिनांक 28.04.1993 को क्रय किया। बयनामा दिनांक 28.04.1993 का दिनांक 29.05.1993 को इन्तकाल सं0 106 दर्ज करवा लिया। इन्तकाल दर्ज होने के उपरान्त दिनांक 23.06.1994 को प्रतिवादी सं0 3, 4, 5 के पिता ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 सम्पूर्ण रकबे को श्रीमान जिला कलक्टर अलवर से दिनांक 23.06.1994 को कन्वर्ट करवाकर पेट्रोल पम्प स्थापित कर लिया। वादी द्वारा गलत ढंग से स्थगन प्राप्त किया है। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार नही होने पर वाद बाई वार्ड लॉ है। वादी द्वारा स्वंय ने विवादित आराजी पर पेट्रोल पम्प स्थापित होने बाबत तथ्य को स्वीकार किया है। धारा 58 सीपीसी के अनुसार Admission is the best avidance मौजूदा वाद किसी भी स्तर पर मेन्टेनेबल नही है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालाखेडा दीवानी दावा 34/52/17 मैसर्स प्रभातीलाल प्रहलादराय बनाम रामकिशन आदेश दिनांक 13.12.2019 तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा का दावा 01/47/2020 निर्णय दिनांक 12/01/2023 प्रस्तुत किया।

वकील वादी ने अपनी बहस मे कथन किया कि हमने धारा 53 के दावे के तहत तकसीम चाही है। शामलाती खसरों के आधार पर केवल विभाजन चाहा है। जमाबंदी मे विवादित आराजी कॉमर्शियल लैण्ड हो, ऐसा कोई उल्लेख नही है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद पत्र में विचाराधीन आराजी खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा0 5 द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग मे लिया जा रहा है। अत खसरा नम्बर 2133 अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारणीय नही है। प्रश्नगत आराजीयात बाबत न्यायालय हाजा मे विचाराधीन दावा घोषणात्मक उनवान हजारीलाल बनाम रामकिशन मे दिनांक 12.01.2023 को निर्णित किया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम मालाखेडा मे वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा0 5 को तथा खसरा नम्बर 2133/5040 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम मालाखेडा मे प्रतिवादीगण संख्या 3 लगा0 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे वे तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें।

अतः वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 की दशाओं (के) वाद हेतुक प्रकट नही होने तथा (घ) वाद विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किया जाता हैं

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

यह निर्णय आंज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0